आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 14 अंक : 02 लखनऊ, शुक्रवार 14 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक

पीएम मोदी ने ७१ हजार नियुक्त पत्र बांटे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के अन्तर्गत नए भर्ती किए गए करीब ७१ हजार कार्मिकों में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियुक्ति पत्र दिए। नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली और क्षमतावान युवाओं को उचित अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज नई नीति और कार्यनीति से देश में नए अवसरों के द्वार खुले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन कार्यक्रमों में से एक है जो ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के एकसमान अवसर प्रदान करते

है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी चुने हुए कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। नव नियुक्त कार्मिक केन्द्र सरकार के अंतर्गत रेल प्रबंधक, स्टेशन मास्टर, निरीक्षक, कॉन्सटेबल, आशुलिपिक, डाक सहायक, आयकर निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे। चुने गए व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो सरकार के विभिन्न विभागों में नव नियुक्त कार्मिकों के लिए तैयार किया गया है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है।

असद के एनकाउंटर पर CM योगी ने यूपी STF को दी बधाई

लखनऊ। माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार असद को आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर झांसी में हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून–व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसके साथ ही बताया गया कि योगी ने यूपी ज्ञ के साथ ही क्लच, स्पेशल क्ल लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट रखी गई है। असद अहमद के एंकाउटर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं STF टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसे फांसी होगी और अगर पुलिस से भिड़ेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। यह बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है और बहुत बड़ा संदेश है कि अपराधियों का युग समाप्त हो गया है। एडीजी यूपी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद और गुलाम को आज एक मुठभेड़ में ढूंढ निकाला गया और मार गिराया गया। हमारे पास जानकारी थी कि उनके पास परिष्त विदेशी हथियार हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में वांछित, पांच पांच लाख रूपये के इनामी असद और गुलाम की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उप्र एसटीएफ की टीम में पुलिस उपाधीक्षक नवेंदु और विमल शामिल थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गये आरोपियों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किये गये हैं। गौरतलब है कि वर्ष २००५ में बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की इस साल २४ फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

डॉन की स्थिति को देख वकीलों ने लगाए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे

लखनऊ। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया है। वो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। जिस वक्त असद के एनकाउंटर की खबर सामने आई उस वक्त माफिया अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट में था। एनकाउंटर की खबर सुनते ही वो फूट फूटकर रोने लगा। इसके साथ ही उसका भाई अशरफ भी वहीं रोने लगा। ये दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। कोर्टरूम में उसकी स्थिति को देखकर वकीलों ने योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एसटीएफ ने झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। विशेष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, "प्रयागराज में उमेश

पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम पांच–पांच लाख रुपये के इनामी बदमाश थे। दोनों की झांसी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई।" कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में शामिल उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक नवेंदु और विमल ने किया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया जहां दोनों की १४ दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की गई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल के वकील विक्रम सिन्हा ने बताया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत ने अतीक और अशरफ की १४ दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की है और पुलिस रिमांड प्रार्थना पत्र पर बहस अभी जारी है। अतीक अहमद को बुधवार की शाम करीब छह बजे यहां की जेल में लाया गया।

राहुल की अर्जी पर २० अप्रैल को आएगा फैसला, वकील ने कहा– निष्पक्ष नहीं हुई थी सुनवाई

नई दिल्ली। सूरत की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश रबिन मोगेरा ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्णेश मोदी को सुना। आदेश २० अप्रैल को सुनाया जाएगा। गांधी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने २३ मार्च को एक मोदी की शिकायत पर दोषी ठहराया था, जिसने दावा किया था कि कांग्रेस नेता ने लगभग चार साल पहले कोलार में एक अभियान भाषण में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई "निष्पक्ष नहीं" थी और इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल ने चुनावी रैली में कहा था, "सभी चोरों

का समान उपमान मोदी ही कैसे है?" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक एवं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता "बार–बार अपराध" करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। गांधी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील आर एस चीमा ने न्यायाधीश से कहा कि सुनवाई "निष्पक्ष" नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश "अजीब" है, क्योंकि निचली अदालत के न्यायाधीश ने "रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सबूतों का घालमेल" कर दिया। चीमा ने गांधी की ओर से कहा, "यह निष्पक्ष सुनवाई नहीं थी। पूरा मामला इलेक्ट्रनिक सबूत पर आधारित है, जिसमें मैंने चुनाव के दौरान एक भाषण दिया और १०० किलोमीटर दूर बैठे एक व्यक्ति ने समाचारों में इसे देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई...। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।"